

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि० प्रा०(111) ब-06/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मुख्यशीर्ष-3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0003-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विपत्र कोड- 43-3451000900003) के अधीन प्रथम एवं अंतिम किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन तथा अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से 31 मार्च 2018 तक में नियमानुसार व्यय हेतु प्रथम एवं अंतिम किस्त में कुल रु. 80,85,000=00 (अस्सी लाख पचासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत् प्रदान किया जाता है:-

विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	मद का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
01-वेतन	01	वेतन	2100000
	02	विशेष वेतन	18000
	03	जीवन यापन भत्ता	3044000
	04	मकान किराया भत्ता	496000
	05	परिवहन भत्ता	65000
	06	चिकित्सा भत्ता	17000
	07	अन्य भत्ता	36000
	योग:-01-वेतन		
06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100000
11-यात्रा व्यय	01	यात्रा व्यय	200000
13-कार्यालयी व्यय	01	कार्यालय व्यय	400000
	02	वाहन का इंधन एवं रखरखाव	1000000
	03	दूरभाष	100000
20-अन्य प्रशासनिक व्यय	01	आतिथ्य व्यय	100000
28-व्यावसायिक सेवाएं	01	संविदा सेवाएं	409000
कुल योग			8085000

(क)

(क) अस्सी लाख पचासी हजार रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवंटन आदेश के प्रत्याशा में माह मार्च, 2017 एवं अप्रैल 2017 के लिए पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में निकासी की गई राशि का सामंजन इस उक्त आवंटित राशि से की जायेगी।

4. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।
5. विभाग में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में पदास्थापित महालेखाकार, बिहार, पटना के सेवानिवृत्त लेखा पदाधिकारी को निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।
6. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्षों में आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो इसे यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।
7. यदि किसी विषयशीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ बांछित राशि की मांग हेतु अनुरोध किया जाय।
8. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
9. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक- 280/वि0 दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
10. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।
11. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- वि0 प्रा0(111) ब-06/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

निदेशक

ज्ञापांक - वि0 प्रा0(111) ब-06/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

निदेशक

ज्ञापांक - वि0 प्रा0(111) ब-06/2012-

05/05/17 /पटना, दिनांक- 24-5-017

प्रतिलिपि:- उप निदेशक (यो.)/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.05.17
निदेशक

24/5/17

24/5/17